

विधान सभा प्रश्न अतारंकित क्रमांक 1373 / 2024 की जानकारी

परिशिष्ट "अ"


प्रश्न-क-छतरपुर जिले अन्तर्गत उपलब्ध अभिलेख अनुसार तीन भागों पूर्व विधायकों को आवस हेतु मूखण्ड आवंटित किये गये है जिनके नाम तथा खस नम्बरवार आवंटित क्षेत्रफल, आवंटन नियम एवं स्वाभित्व प्राप्त करने व स्वाभित्व हेतु शेष के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

स० क्र०	मा. पूर्व विधायक का नाम	ख० न० एवं आवंटित क्षेत्रफल	नियम / प्र० क्र० व आदेश दिनांक	कितने के द्वारा स्वाभित्व प्राप्त कर लिया	स्वाभित्व हेतु शेष	व्यावसायिक रूप में उपयोग	मूखण्ड पर निवास बना है।	कब्जाधारियों आवंटित भाग विधायकों को कब्जाधारियों रिकस करा जावेगा।
1	श्री लक्ष्मणदास तनय हरजू अहिरवार	1733 / 2 मेंसे क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट	कार्या० कले० जिला छतरपुर म० प्र० के प्रकरण क्रमांक 21 / अ-20(1) / 83-84 आदेश दिनांक 22 / 07 / 85	स्वाभित्व प्राप्त कर लिया है।	नहीं	नहीं	मूखण्ड मीका पर रिकस है।	निरंक
2	श्री शांकर प्रताप सिंह उर्फ मुन्नाराजा तनय श्री राव बहादुर सिंह	1731 / 1 मेंसे क्षेत्रफल 2480 वर्गफिट	कार्या० कले० जिला छतरपुर म० प्र० के प्रकरण क्रमांक 13 / अ-20(1) / 85-86 आदेश	स्वाभित्व प्राप्त कर लिया है।	नहीं	न्याया० अ० वि० अ० (रा०) छतरपुर म० प्र० के 06 / अ-20(1) / 2016-17 आदेश दिनांक 31 / 03 / 2018 के द्वारा राजस्व पुस्तक परिषद खण्ड चार क्रमांक दो के ज्ञापन क्रमांक एफ-क्र० 2-16-2009-सात-6 भोपाल दिनांक 21 / 09 / 2010 की कठिडका -9(क) के अनुसार संपरिवर्तन प्रदान करने की तिथि को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए	निर्मित भवन का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन में किया जा रहा है।	निरंक

[अ. क्र. 1373]

JLB

		1731/1 मेंसे क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट	काया0 कले0 जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 01/अ-2 0(1)/94 -95 में संलग्न म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल का एक क्रमांक 6-320/ सात/नव् त/96 दिनांक 14/12/ 98	दिनांक 17/05 /86	म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल का एक क्रमांक 6-320/सात/नवूल/96 दिनांक 14/12/98 से 2400वर्गफुट भूमि प्रयोजि रूपये-1,03,565/- वार्षिक भू-भाटक 5.178/- पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति आदेश के पृष्ठ क्रमांक 02 की कण्डिका(2) के अनुसार "आदेश जारी होने की तिथि से आवेदक से प्रयोजि की सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि छ: माह के अन्दर जमा करावे यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रयोजि व भू-भाटक जमा नहीं करते है तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।" आवेदक को उक्त राशि रामय-सीमा में जमा करने हेतु पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया। इस संबंध में अंतिम पत्र क्र0 174/कले0/नवूल/2000दिनांक 17/04/2000 के माध्यम से मान0 पूर्व विधायक श्री मानवेन्द्र सिंह को प्रेषित किया गया किन्तु मान0 द्वारा आज दिनांक तक कोई राशि जमा नहीं किये जाने से आवंटित भूमि के पट्टा निष्पादन की कार्यवाही नहीं की गई।	पट्टा निष्पादन की कार्यवाही न होने से आवेदक को स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है।	प्रदलित बाजार मूल्य का डेड प्रतिशत (गार्ड लाईन 2017-18) संपरिवर्तन की राशि-235093/- (रूपये- दो लाख पैंतीस हजार तिरानवे) एवं भू-भाटक 10वर्ष का (1674X10= 16740/- (₹0 सोलह हजार सात सौ चालीस) कुल योग- 251833/- (₹0 दो लाख इन्न्थावन हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) निर्धारण किया गया जिसे आवेदक द्वारा चालान क्रमांक 87 से जे/072858650 दिनांक 05/09/2017 से जमा की गई तदोउपरान्त तीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तन किया की अनुमति आदेश में दर्शित शर्तों के अधीन दी गई है। आदेश एवं चालान की प्रति संलग्न है।	निरंक	निरंक	निरंक
3	श्री मानवेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री यादवेन्द्र सिंह									


 Manoj Kumar (M. Pr.)
 जिला-छतरपुर (म. प्र.)